दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 03-07-2025

भास्कर खास | भूमि अधिग्रहण के बदले एसईसीएल ने किसी दूसरे को दी थी नौकरी

महिला को 30 साल बाद हाई कोर्ट से न्याय, खुद को बेटा बताकर हासिल की नौकरी रद्द, बेटे को मिलेगी नियुक्ति

लीगल रिपोर्टर. बिलासपुर

महिला को 30 सालों के बाद हाई कोर्ट से न्याय मिला है। जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने गैर व्यक्ति को नौकरी देने के 6 जुलाई 2017 को जारी आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही भूमि अधिग्रहण के एवज में याचिकाकर्ता महिला के बेटे को नौकरी देने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा है कि सार्वजनिक उपक्रम को निष्पक्षता और सद्भावना से काम करना चाहिए, गलती की सजा याचिकाकर्ता को नहीं मिलनी चाहिए।

कोरबा के दीपका की निर्मला तिवारी की 0.21 एकड़ जमीन 1981 में कोयला खदान के लिए अधिग्रहित की गई थी। एसईसीएल को पुनर्वास नीति के तहत उन्हें मुआवजा और उनके परिवार के सदस्य को नौकरी देनी थी। मुआवजा तो 1985 में दे दिया गया। लेकिन नौकरी नंद किशोर जायसवाल को दे दी गई, जिसने खुद को याचिकाकर्ता का बेटा बताया था।धोखाधड़ी की जानकारी देने पर वर्ष 2016 में नंद किशोर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद महिला ने अपने बेटे उमेश तिवारी को नियुक्ति देने की मांग की। लेकिन एसईसीएल प्रबंधन ने यह कहते हुए नौकरी देने से इनकार कर दिया कि अधिग्रहण के दिन जमीन याचिकाकर्ता के नाम पर म्यूटेट नहीं थी। बेटे का उस वक्त जन्म नहीं हुआ था।

म्यूटेशन सिर्फ कब्जे का सबूत, स्वामित्व का नहीं

हाई कोर्ट ने कहा कि म्यूटेशन सिर्फ कब्जे का सबूत है, स्वामित्व का नहीं। जब एसईसीएल ने जमीन के बदले मुआवजा देने पर मान लिया था कि याचिकाकर्ता ही जमीन की मालिक है। अगर शुरू में गलत व्यक्ति को नियुक्ति दे दी गई, तो उस गलती को सुधारते समय असली हकदार को उसका हक देना चाहिए था। इस आधार पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता कि कि तब बेटे का जन्म नहीं हुआ था।

कहा- राज्य का दर्जा, निष्पक्ष रहें

हाई कोर्ट ने मोहन महतो विरुद्ध सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य का दर्जा हासिल है। ऐसे में निष्पक्ष रहना जरूरी है।

गलत व्यक्ति को नौकरी देना अन्याय

हाई कोर्ट ने कहा कि एसईसीएल ने गलत व्यक्ति को नौकरी देकर याचिकाकर्ता के साथ अन्याय किया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता के बेटे को 6 जुलाई 2017 से नियुक्ति दी जाए। इसके अलावा सभी लाभ भी उस तारीख से दिया जाए।